न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/242

1. भैरूलाल आत्मज श्री रामचन्द्र जी उम्र 40 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज माधोलाल जाति तेली निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. ओम आत्मज धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. महावीर आत्मज धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. लाड बाई पुत्री धन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. शिवशंकर आत्मज मोडूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री ऋृषिराज नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 02.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तसहील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थी के खाते का खेत आराजी खसरा नम्बर 998 की भूमि है । प्रार्थी के खेत पर पहुंचने के लिए नाचन बावडी आम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1062 में से होकर आराजी खसरा नम्बर 985 जो शिवशंकर नागर अप्रार्थी कम 3 की खातेदारी में है लेकिन वर्षों से अप्रार्थी कम 1 भैरूलाल का कब्जा है । जिसकी मेर व

नारायण तेली अप्रार्थीगण कम 2 के खेत आराजी खसरा नम्बर 986 की मेड पर होता हुआ प्रार्थी भैरूलाल के खेत आराजी खसरा नम्बर 995 व 996 की मेड पर होता हुआ आराजी खसरा नम्बर 997 जिसके खातेदारान ओमप्रकाश महावीर लाडबाई पुत्रान धन्ना लाल है परन्तु अप्रार्थी भैरूलाल उक्त खसरा नम्बर के खातेदार आपस में भाईबन्ध हाने के कारण पारिवारिक समझौते के तहत काफी वर्षों से भैरूलाल ही काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर की मेड पर होकर अपने खेत खसरा नम्बर 998 पर पहुंचता है यही रास्ता प्रार्थी के खेत का प्रचलित चालू रास्ता है किन्तु अप्रार्थी सत्यनारायण तेली ने अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 986 की मेड पर पत्थर डालकर व अप्रार्थी भैरूलाल ने अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 995, 996 की मेड पर व आराजी खसरा नम्बर 997 जिस पर भैरूलाल पारिवारिक समझौते के तहत काबिज चला आ रहा है पर तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में जाने का रास्ता बन्द हो गया है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत आराजी खसरा नम्बर 998 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण के खोत आराजी खसरा नम्बर 985, 986, 995, 996, 997 में से मेड के सहारे 20 फीट की चौडाई में भूमि प्रार्थी को डीएलसी दर पर दी जाकर उक्त भूमि में प्रार्थी के खेत आराजी खसरा नम्बर 998 तक पहुंचने का रास्ता कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करने हुत अप्रार्थीगण कम 7 को आदेश प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि भविष्य में उक्त 20 फीट की चौडाई भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद पैदा नहीं करे न ही उस पर बने रास्ते का बन्द नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खेत आराजी खसरा नम्बर 998 की पूर्वी उत्तरी कौने तक 20 फीट चौडा रास्ता डीएलसी दर से डबल राशि सम्बन्धित खातेदार को भुगतान करने पर रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि अप्रार्थी अपीलान्ट उक्त प्रकरण की सुनवाई राजस्व लोक अदालत में नहीं करवाना चाहते हैं इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हु निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी खातेदार अपने खातेदारी के खेत, जिससे लगता हुआ रास्ता नहीं हो, वह अपने खेत तक नया रास्ता अन्य खातेदारान की कृषि भूमि में से सम्बन्धित खातेदारान को डीएलसी दर से दो गुना राशि का भुगतान कर रास्ता कायम करवा सकता है और इस पकार कायम किया गया रास्ता सरकारी होगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सर्वथा गलत अर्थान्वयन कर गलत आदेश पारित किया है तथा जानबूझकर धारा 251 क के परन्तुक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कहीं पर भी यह अंकित

किया गया है कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी के खेत में जिससे लगता हुआ रास्ता हीं हो, अन्य खातेदारान की कृषि भूमि से नया रास्त कायम करवा सकता हो । धारा 251 (क) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करवाने हेतु अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया हुआ है कि कृषि आराजी पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा आत्येन्तिक आवश्यकता होने पर ही धारा 251 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है तथा प्रार्थी बजरंग लाल द्वारा दिनांक 07.11.2014 को हुई जिरह में यह कथन किया गया कि इस खेत को मैं मुनाफा काश्त कर जुपाता हूँ इस साल भी मैने जमीन मुनाफे पर दी है जो जानकी लाल जी को मुनाफे पर दी है । जानकीलाल के खेत के दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 1005 पर रास्ते के लिए पटवारी से जानकारी की थी लेकिन उसने रास्ता होना नहीं बताया मै मेरे खेत पर आता जाता हूँ मैं 12 महिने पहले गया था मेरे खेत के नीचे जानकी लाल के खेत आराजी खसरा नम्बर 1028 से लगा हुआ रास्ता है मैंने अपने खेत को 20 साल से मुनाफा काश्त पर दे रखा है मैं अपने खेत पर आने का नया रास्ता नहीं मांग रहा हूं जिस मेड पर से निकला था वह रास्ता मांग रहा हूँ । मेरी गॉव में 998 खसरा नम्बर के अलावा और भी भूमि है वह सारी भूमि के पेलाडी कराडियॉ की तरफ है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में व जिरह में किये गये कथनों कथन से स्पष्ट हे कि वह उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये नया रास्ता नहीं मांग रहा है तथा पूर्व में सुधाधिकार के आधार पर की गई कार्यवाहियों को सम्बन्धित सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है इसके बावजूद भी उक्त निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 649, 2016 (1) आरआरटी पेज 551, 2016 –17 (सुप्री) आरआरटी पेज 677, 2017 (1) आरआरटी पेज 423, 2017 (1) आरआरटी पेज 342, 2016–17 आरआरटी पेज 597, 2017 (2) आरआरटी पेज 789 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खेत पर पहुंचने के लिए नाचन बावडी आम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1062 में से होक आराजी खसरा नम्बर 985 जो शिवशंकर नागर अप्रार्थी क्रम 3 अपीलान्ट की खातेदारी में है जिसकी मेर व सत्यानारायण तेली अप्रार्थीगण क्रम 2 अपीलान्ट के खेत आराजी खसरा नम्ब 986 की मेड पर होता हुआ अप्रार्थी भैरूलाल अपीलान्ट के खेत आराजी खसरा नम्बर 995 996 की मेड पर होता हुआ आराजी खसरा नम्बर 997 जिसके खातेदारान ओमप्रकाश महावी लाडबाई पुत्रान धन्ना लाल है परन्तु अप्रार्थी भैरूलाल अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर के खातेद आपस में भाईबन्ध हाने के कारण पारिवारिक समझौते के तहत काफी वर्षों से भैरूलाल काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर की मेड पर होकर अपने खेत खसरा नम्बर 9 पर पहुंचता है यही रास्ता प्रार्थी के खेत का प्रचलित चालू रास्ता है किन्तु अप्रार्थी सत्यनारा तेली ने अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 986 की मेड पर पत्थर डालकर व अप्रार्थी भैरूल ने अपने खेत आराजी खसरा नम्बर 985, 995, 996 की मेड पर व आराजी खसरा नम्बर जिस पर भैरूलाल पारिवारिक समझौते के तहत काबिज चला आ रहा है पर तारबन्दी रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से स्वीकार किया है जिसमें कि प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 बहाल रखा जावे ।

ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस
र मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया ।

10. प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी खातेदार अपने खातेदारी के खेत, जिससे लगता हुआ रास्ता नहीं हो, वह अपने खेत तक नया रास्ता अन्य खातेदारान की कृषि भूमि में से सम्बन्धित खातेदारान को डीएलसी दर से दो गुना राशि का भुगतान कर रास्ता कायम करवा सकता है और इस पकार कायम किया गया रास्ता सरकारी होगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सर्वथा गलत अर्थान्वयन कर गलत आदेश पारित किया है तथा जानबूझकर धारा 251 क के परन्तुक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कहीं पर भी यह अंकित नही किया गया है कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी के खेत में जिससे लगता हुआ रास्ता नहीं हो, अन्य खातेदारान की कृषि भूमि से नया रास्त कायम करवा सकता हो । धारा 251 (क) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करवाने हेतु अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया हुआ है कि कृषि आराजी पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा आत्येन्तिक आवश्यकता होने पर ही धारा 251 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है तथा प्रार्थी बजरंग लाल द्वारा दिनांक 07.11.2014 को हुई जिरह में यह कथन किया गया कि इस खेत को मैं मुनाफा काश्त कर जुपाता हूँ इस साल भी मैने जमीन मुनाफे पर दी है जो जानकी लाल जी को मुनाफे पर दी है । जानकीलाल के खेत के दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 1005 पर रास्ते के लिए पटवारी से जानकारी की थी लेकिन उसने रास्ता होना नहीं बताया मै मेरे खेत पर आता जाता हूँ मैं 12 महिने पहले गया था मेरे खेत के नीचे जानकी लाल के खेत आराजी खसरा नम्बर 1028 से लगा हुआ रास्ता है मैंने अपने खेत को 20 साल से मुनाफा काश्त पर दे रखा है मैं अपने खेत पर आने का नया रास्ता नहीं मांग रहा हूं जिस मेड पर से निकला था वह रास्ता मांग रहा हूँ । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में व जिरह में किये गये कथनों कथन से स्पष्ट हे कि वह उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये नया रास्ता नहीं मांग रहा है तथा पूर्व में सुधाधिकार के आधार पर की गई कार्यवाहियों को सम्बन्धित सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है इसके बावजूद भी उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं वह अपीलान्ट के कथनों को समर्थन करते हुए क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने पूर्व में कायम रास्ता अथवा वैकल्पिक रास्ता को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । उक्त रास्ते के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई मौका रिपोर्ट भी नहीं बनाई गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा